पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

कौशल किशोर मिश्रा एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 370/2021

26 सितंबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या उत्तरदाता द्वारा याचिकाकर्ता को ए.सी.पी. का लाभ देने के दावे को अस्वीकार करना सही है या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून—ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना—याचिकाकर्ता को दो दंड दिए गए—याचिकाकर्ता को दी गई निंदन की सजा 1991 में समाप्त हो गई—ए.सी.पी. प्रदान करना तकनीकी रूप से पदोन्नति का अनुदान नहीं, बल्कि वेतनमान में वृद्धि है—यह उच्च पद का लाभ दिए बिना या किसी वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना यथास्थान वित्तीय प्रगति है।

निर्णय: दंड का प्रभाव, देय तिथि से तीन वर्ष के भीतर पदोन्नति प्रदान करने पर रोक लगाना—दंड केवल आदेश के स्वर और भाव के अनुसार नियमित पदोन्नति की संभावना को प्रभावित कर सकता है—मूल याचिकाकर्ता को ए.सी.पी. प्रदान करने के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता—रिट आवेदन स्वीकार किया जाता है। (अनुच्छेद 4 से 7)

न्याय दृष्टान्त

अमरेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून

मुख्य शब्दों की सूची

ए.सी.पी.; सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अनुदान के लिए लाभ; ए.सी.पी. का अनुदान तकनीकी रूप से पदोन्नति का अनुदान नहीं है बल्कि वेतनमान में वृद्धि है।

प्रकरण से उत्पन्न

प्रतिवादियों द्वारा ए.सी.पी. के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री अखिलेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: श्री शिव कुमार, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.370

==========

1.1. कौशल किशोर मिश्रा, पिता- स्वर्गीय उपेंद्र नाथ मिश्रा, निवासी- सत्येंद्र नगर, प्रखंड कार्यालय के पश्चिम, पोस्ट, थाना और जिला- औरंगाबाद।

1.2. सतीश कुमार मिश्रा, पिता- स्वर्गीय उपेंद्र नाथ मिश्रा, निवासी- सत्येंद्र नगर, प्रखंड कार्यालय के पश्चिम, पोस्ट, थाना और जिला- औरंगाबाद।

1.3. प्रभा कुमारी, पिता- स्वर्गीय उपेंद्र नाथ मिश्रा, पति- बीरेंद्र कुमार पांडे, निवासी- गर्ल स्कूल के सामने, औरंगाबाद, पोस्ट, थाना और जिला- औरंगाबाद ।

1.4. पद्मा पाठक, पिता- स्वर्गीय उपेंद्र नाथ मिश्रा, पति- अरविंद कुमार, निवासी- 7/8 ग्रासिम स्टाफ कॉलोनी, नागदा, पोस्ट, थाना और जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश ।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. सचिव-सह-आयुक्त, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पुराना सचिवालय, पटना।

4. अधीक्षक अभियंता, सोन नहर आधुनिकीकरण मंडल, इंद्रपुरी, डेहरी ऑन वन, जिला- रोहतास।

5. कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार।

6. महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिएः श्री अखिलेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिएः श्री शिव कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

दिनांक- 26-09-2023

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह मूल रिट याचिकाकर्ता (जो अब दिवंगत हो चुके हैं और इस कार्यवाही में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं) की ओर से तीसरा दौर का मुकदमा है। ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ का प्रदान कर्मचारी के लिए सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3969/ 2009 दायर करने के बाद से ही भ्रामक रहा है। वर्तमान कार्यवाही में, दिवंगत कर्मचारी ने उनकी ए.सी.पी. लाभ के दावे को अस्वीकार करने वाले 06.11.2018 के 'तर्कसंगत आदेश' को चुनौती दी थी। यह विवादित नहीं है कि ए.सी.पी. योजना के अनुसार, कर्मचारी (जो अब दिवंगत हैं) 09.08.1999 को पहली वित्तीय प्रगति का लाभ प्राप्त करने के हकदार हो गए थे। विवाद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अधिकारियों द्वारा 16.09.1998 के एक विभागीय दंड आदेश का हवाला देकर इस लाभ के प्रदान का विरोध किया जा रहा है। इस आदेश में दो प्रकार के दंड लगाए गए थे, एक 'निंदन' और दूसरा 'कर्मचारी की पदोन्नति पर उस तारीख से तीन वर्ष तक रोक, जिस तारीख से यह देय हो'। दोनों दंड इस प्रकार हैं:

"(i) "निन्दन" जिसकी प्रविष्टि वर्ष 1987 -88 की चारित्री में की जाएगी ।

(ii) देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक ।"

3. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मूल याचिकाकर्ता द्वारा पहले दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 3969/2009 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 5972/2014 में पारित आदेशों के अनुसार, यह मुद्दा कि निंदन का प्रभाव वर्ष 1991 में समाप्त हो गया था, पहले ही निष्कर्षित हो चुका है। फिर भी, उत्तरदाता इस मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं।

4. जहाँ तक इस निवेदन का संबंध है, यह पूर्ववर्ती रिट कार्यवाहियों में पारित दो आदेशों को पढ़ने से ही सही प्रतीत होता है, जिनमें मूल याचिकाकर्ता का ए.सी.पी. का दावा इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था। सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 5972/ 2014 में पारित बाद के निर्णय का अनुच्छेद 3 इस संबंध में प्रासंगिक है और इसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"3. यद्यपि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 3969/2009 के तहत दायर पूर्व रिट याचिका पर विशेष रूप से यह माना है कि याचिकाकर्ता को दी गई निंदा की सजा 1991 में अपना प्रभाव खो चुकी थी और यदि पदोन्नति के लिए पात्रता उस तिथि से मानी जाए, तो सजा 1994 में अपना प्रभाव खो चुकी थी, लेकिन उत्तरदाता अभी भी याचिकाकर्ता को उसके दूसरे ए.सी.पी. के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित कर रहे हैं, अपेक्षित अवधि की गणना 1994 के तीन वर्ष बाद से प्रभावी करके। उत्तरदाता सं.2 द्वारा पारित आदेश, इसलिए, इस

न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 3969/2009 में याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित आदेश के अनुरूप नहीं है, जिसे उत्तरदाता अधिकारियों द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई है और जो पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है।"

5. दूसरा पहलू प्रोन्नति पर तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाने वाली सजा का प्रभाव है, जिसे यह देय होने की तारीख से लागू किया गया था। यह सजा केवल आदेश के स्वर और शैली के संदर्भ में नियमित पदोन्नति की संभावना को प्रभावित कर सकती है। यह किसी का मामला नहीं है कि मूल याचिकाकर्ता (जो अब दिवंगत हैं) उस तारीख से नियमित पदोन्नति के हकदार थे, जिस तारीख से वे ए.सी.पी. का दावा कर रहे हैं। ये दोनों मुद्दे अलग-अलग हैं। ए.सी.पी. का प्रदान तकनीकी रूप से पदोन्नति का प्रदान नहीं है, बल्कि वेतन-मान में वृद्धि है। यह एक वित्तीय प्रगति है जो बिना उच्च पद का लाभ दिए या वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना होती है। यदि याचिकाकर्ता उच्च पद/वरिष्ठता का दावा कर रहे होते, तो यह उस तारीख से प्रतिबंधित होता जब यह देय था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसलिए, मूल याचिकाकर्ता को योजना के तहत वित्तीय प्रगति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले दिनांक 25.04.2023 को **अमरेश कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य** के मामले में, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दावा की जा रही उसी मूल योजना पर विचार किया गया था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से निर्णय दिया है:

"13. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ए.सी.पी. का उद्देश्य उन स्थितियों में ठहराव से बचना है जहां कोई पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। एसीपी का प्रदान तकनीकी रूप से पदोन्नति का प्रदान नहीं है, बल्कि

कर्मचारी को उसके द्वारा धारण किए गए पद पर बनाए रखते हुए अगले उच्च वेतनमान में वृद्धि है। यह केवल मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए है, बिना किसी वरिष्ठता को प्रभावित किए या वास्तव में किसी उच्च पद पर पदोन्नति को प्रभावी किए बिना, ताकि किसी विशेष पद या वेतन-मान पर लंबे समय तक ठहराव से बचा जा सके।"

6. इसलिए, न्यायालय को यह दर्ज करने में कोई संकोच नहीं है कि मूल याचिकाकर्ता को दिनांक 09.08.1989 से ए.सी.पी. के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, और यदि कोई अन्य बाधा नहीं है, तो इसे उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर प्रदान किया जाए।

7. रिट आवेदन की अनुमति है।

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

पंकज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।